HAMIRPUR POLICE

थाना मझगवां | दिनांक 01.06.2022

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दिलायी गयी।

जनपद पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध माननीय न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, दिनाँक 17/01/1999 को थाना मझगवां जनपद हमीरपुर में पंजीकृत अ0सं0 05/1999 धारा-354 भा0द0सं0 में नामजद अभियुक्त कर्ण सिंह पुत्र शेषचंद्र लोधी को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, इसी के परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग मे आरोपी को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा 10,000 रुपये के अर्थदंड/ की सजा सुनाई गयी।